	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 23, बुधवार, *शाके* 1948- मई 13, 2026 Vaisakha 23, Wednesday, Saka 1948- May 13, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 04, 2025

संख्या प.9(14)राज-1/2025-24478:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, **बीकानेर** से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **बीकानेर जिले की तहसील बज्जू एवं पूगल** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है:-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है. में)
			ग्रामका नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बीकानेर / बज्जू	बज्जू तेजपरा / बज्जू खालसा	बज्जू तेजपरा LG Code 69445	6930.74	3026	**करणी नगर Karni Nagar**	**829.36**	**321**	**8**	**6101.38**
2		बरसलपु	बरसलपु	11304	1810	**4**	**1993**	**626**	**10**	**9311**

		र / बज्जू खालसा	र LG Code 69345			**आबादी 4 BMR Aabadi**				
3		रणजीत पुरा / बज्जू खालसा	रणजीत पुरा LG Code 69378	24632	5559	**चक 5 पीएसएसएम आबादी Chak 5 PSSM Aabadi**	**1626.39**	**1171**	**6**	**23005.61**
4	बीकानेर / पूगल	डेली तलाई / पूगल	जोधासर LG Code 69187	19740	6355	**पार्वती तलाई (चक 2 डीएमए-) Parvati Talai (Chak 2 DM-A)**	**431.07**	**695**	**4**	**19308.93**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, बीकानेर** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्राम के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगें।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,

शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।